He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933

No. 1471]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सं. 40/2011-आय-कर

का.आ. 1763(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43)की धारा 10 के खंड (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत की सुरक्षा से संबंधित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स इएडीएस डयूशलैन्ड जीएमबी एच के साथ दिनांक 22 जून, 2010 को निष्यन्न करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क के रूप में मैसर्स इएडीएस डयूशलैन्ड जीएमबी एच वर्थस्ट्रेबल 85,89077 यूएलएम जर्मनी को उद्भूत होने वाली कोई आय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कम्पनी की पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना में शामिल नहीं की जाएगी।

[फा. सं. 200/3/2011-आ. क. नि.-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आय-कर नि. I)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi the 29th July, 2011

No. 40/2011-Income Tax

S.O. 1763(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income arising to M/s. EADS Deutschland GmbH Worthstrable 85,89077 Ulm Germany by way of fees for technical services received in pursuance of the agreement entered into by the Government of India with M/s. EADS Deutschland GmbH, dated the 22nd June, 2010, for providing Consultancy Services for Airborne Early Warning and Control System, connected with security of India shall not be included in computing the total income of a previous year of the said company under the said Act.

F. No. 200/3/2011- ITA. I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA. I)